

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर—द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 33 / 2021 / ...1274

दिनांक : 02 / 03 / 2024

आ दे श

इस न्यायक्षेत्र में पदस्थापित श्री रविन्द्र कुमार, स्टेनो ग्रेड-III के द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 व संशोधित अधिसूचना दिनांकित 09.12.2017 व 26.07.2023 के क्रम में एवं शेट्टी कमीशन के तहत देय एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ स्वीकृत करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या (05) में अंकित तिथि से नियमित वेतन श्रृंखला में निम्नानुसार एतद्वारा वेतन स्थिरीकरण किया जाता है :-

क.सं.	नाम कर्मचारी मय पद व न्यायालय का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की प्रथम तिथि व न्यायक्षेत्र का नाम	परिवीक्षाकाल में कर्मचारी द्वारा लिये गये असाधारण/ अवैतनिक अवकाश का विवरण	परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर नियमित वेतन स्थिरीकरण की तिथि	वर्तमान फिक्स/पातेय वेतन	परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने की दिनांक, नियमित वेतनस्थिरीकरण पर स्वीकृत पे-मैट्रिक्स में मूल वेतन व लेवल तथा नियमित वेतनस्थिरीकरण की देय दिनांक	शेट्टी कमीशन के तहत देय एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने की दिनांक व संशोधित मूल वेतन	आगामी वेतनवृद्धि दिनांक
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1.	श्री रविन्द्र कुमार स्टेनो ग्रेड-III (अंग्रेजी) न्यायालय:- वाणिज्यिक न्यायालय, क्रम-01, जयपुर महानगर-II	03.01.2022 (F/N) जयपुर महानगर-II	1.क्वॉरटीन लीव 05 दिवस 2.पितृत्व अवकाश दिनांक 09.09.2022 से 23.09.2022 15 दिवस 3. असाधारण अवैतनिक अवकाश दिनांक 25.06.2022 से 06.07.2022 12 दिवस	03.01.2024	23700 / -	परिवीक्षा पूर्ण की दिनांक 02.01.2024 मूलवेतन 33800 / - (L-10) देय दिनांक 03.01.2024	34800 / - (L-10) देय दिनांक 03.01.2024	01.07.2024

1. उपरोक्त आदेश का इन्द्राज संबंधित कर्मचारी की सेवापुस्तिका में किया जावे।

-sd-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 33 / 2021 /1275

दिनांक : 02 / 03 / 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय।
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर।
03. संबंधित न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय(संलग्न सेवापुस्तिका)
04. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
05. संबंधित कर्मचारी।
06. आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

3
जिल्हा एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय